रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/फाल्गुन 8, 1940
No. 908] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/PHALGUNA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

का.आ. 1042(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2939 (अ) तारीख 6 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 सितम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

कुथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षित क्षेत्र उत्तर और मध्य अंडमान जिला के अंतर्गत 5.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिएंट लेदरबैक कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, हरा समुद्र कछुआ और हॉक्सबिल कछुआ के लिए आवास भूमि में से एक महत्वपूर्ण है; कुथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य कई जंगली पशुओं और पक्षियों के लिए मुख्य आवास भी है; कुथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य अंडमान में रंगट से लगभग 22 किलोमीटर (सड़क द्वारा) और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी से मध्य अंडमान द्वीप के पूर्व तट में स्थित है। पूर्ण कुथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी भाग में समुद्र के साथ कुथबर्ट खाड़ी आरक्षित वन के दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है, अभयारण्य का आकार छोटा होने के कारण वनों के प्रकार को स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया है और इस अभयारण्य में होने वाली अधिकांश प्रजातियां समुद्र तट वन, नम

पर्णपाती वन और अंडमान अर्ध सदाबहार वनों के प्रकार से संबंधित हैं; वन के प्रकारों का प्रमुख स्थान देखा जा सकता है, जैसा कि अभयारण्य की समुद्र किनारे से पश्चिमी सीमा (पूर्वी सीमा) की तरफ जाता है-(i) समुद्र तट वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *पोंगामीया पिन्नाटा, मनीकारा लिट्टोरालिस, कोलोफाइलम इनोफाइलम* ; आदि, (ii) अंडमान अर्ध सदाबहार वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *डिपटेरोकारपस प्रजातियां, आर्टोकारपस चप्पलाशा, टेट्रामेलस नुडिफ़्लोरा* ; आदि और (iii) अंडमान नम पर्णपाती वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *पटरोकारपस डाल्बर्गियोइड्स, बॉम्बाक्स इनसिग्निस*, आदि; अभयारण्य के दक्षिणी सीमा पर विद्यमान छोटी नदी में मैनग्रोव प्रजातियां होती है;

और, अभयारण्य में अभिलिखित महत्वपूर्ण वनस्पतियां मार्बल वुड (*डायसपायरोस मरमोराटा*), पडौक (*टेरोकार्पस डलबेरगिओडेस*), बादाम (*टरमिनालिया प्रोसेरा*), ब्लैक चुगलुम (टरमिनालिया मनी), गुरजन (*डिप्टेरोकार्पस स्पा.*), झींगम (*पजेनालिया हीदी*), जंगली आम (*मैंगिफेरा एन्डामानिका*), कोको (*अलबिज़िया लेबेक*), लाकच (*आर्टोकार्पस गोमेज़ियाना*), लाल बॉम्बवे (*प्लंचोनिया एंडमानिका*), आदि हैं। नेवा (*पोलीयाथिया पारकिंसोनी*), सी मोहेवा (*मणिलकारा लिटिरालिस*), चराइगुड़ुआ (*विटेक्स डाइविसिफोलिया*), आदि स्थानिक हैं; जबकि बॉम्ब्रेक्स इंसिग्ने (*डीड्डु*), *तदेगी ट्राइक्रेट्रम, अमुरा मणि, प्लेकोस्पर्मम एंडमानिकम, ओलाक्स इम्ब्रिकाटा, पित्तोस्पोरम फेरुजिन, साइक्रा रम्फी* (अर्गुना) आदि संरक्षित क्षेत्र के संकटापन्न/ दुर्लभ पौधों की प्रजातियाँ हैं;

और, अभयारण्य से स्तनधारियों की प्रजातियां अभिलिखित है जिसमें अंडमान बनैला सूअर (*सूस स्क्रॉफ एंडमानेंसिस*), मुंजक (*मुन्टियाकस मुन्तजैक*), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), जंगल बिल्ली (फेलिस चाउस), अंडमान मास्कड पाल्म मुश्कबिलाव (*पगुमा लारवाता टाइक्लेली*), अडमान लेसर शार्ट-नोसेस फ्रूट बैट (*सानोप्टेरस ब्राटियोटिस ब्रैकिसोमा*), डॉबसन होर्सहो बैट (*राइनोफॉस एफिमिनिस एंडेमेंसिस*), डोनसन लॉग-टंगड फ्रूट बैट (*एनीकटेरिस स्पीला*), फुलवुस लीफ-नोस्ड बैट (*हिप्पोसाइडेरोस फुलवस फुलवस*), इंसुलर माउस-इयरड बैट (*मायोटिस ड्राय*), लेसर येलो बैट (*स्कूट्रफिलस कुहली*), उत्तर अंडमान होर्सहो बैट (*राइनोफस कॉग्नेटस फैमुलस*), चूहा (*रैटस बरस्कस*), आदि हैं; यद्यपि वास्तव में समुद्री द्वीपों, सरीसृपों, पक्षियों, उभयचरों, मछलियों और अन्य निचले रूपों के भौगोलिक पृथक्करण के कारण बड़े स्तनधारी जीवों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है पौधों और समुद्री जैव विविधता के साथ जैसे एमराल्ड ग्रीन जेको (*फेलसुमा एंडमैनेंस*), ग्रीन सी टर्टल (*चेलोनिया मैडास*), हॉक्स बिल्ड टर्टल (*इरेटमोचेलायस इमब्रिकेट*), लेदर बैक टर्टल (*डरमोचेलायस कोरियासेया*), ऑलिव रिडली टर्टल (*लेपिडोचेलायस ओलिवासेया*), साल्ट वाटर क्रोकोडायल (*क्रोकोडायलस पोरोसस*), वाटर मॉनीटर लिजार्ड (*वारानस सलवेटोर*) को अभयारण्य में पौधे और समुद्री जैव विविधता के साथ अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। समुद्री सॉप समुद्र तटों और समीपवर्ती वनस्पति में भी देखे जाते हैं;

और, कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जीवजन्तु प्रचुर हैं और अभयारण्य से पक्षियों की लगभग 60 प्रजातियां अभिलिखित है जिसमें अंडमान बैंडेड क्रैक (*रेलिना कैन्निगी*), अंडमान काला कठफोड़वा (*ड्रायकोकस जेवेंसिस*), अंडमान ब्लैकनापेड मोनार्च (*मोनार्चा अज़ूरिया*), अंडमान कारलेट मिनिबेट (*पेरीक्रोकॉटस फ्लेमियस*), अंडमान चेतनुथेड बी मधुमक्खी (*मेरोप्स लेसेंकुल्ली*), अंडमान क्राउन-तीतर (*सेंट्रोपस साइनेंसिस*), अंडमान डार्क सर्प ईगल (*स्पिलोर्न इलगिनी*), अंडमान इमेराल्ड डोव (*चैलकोफोपस इंडिका*), अंडमान फूलपेकर (*डिकायूम कंसलर*), अंडमान ग्लॉसी स्टेयर (*अप्लोनिस पैनएनेसिस*), अंडमान ग्रीन शाही कबूतर (*डुकुला एनेया*), अंडमान ग्रीयरम्पेड (या 'व्हाइट-नेस्ट') स्विफ्टलेट (*कोलोकलिया फ़ुसीफागा*), अंडमान ग्राउंड थ्रश (*ज़ूथेरा सिटरिना*) अंडमान पहाड़ी मैना (*ग्रेकुला रेलिगोसा*), अंडमान कोयल (*यूडोनॉमीस*

स्कोलोपेसिया), अंडमान बडे कोयल-श्रीके (*कोरासीना नोहेहोलैंडिया*), अंडमान मैगपाई-रॉबिन (*कोप्सिकस सायुलरिस*), अंडमान ओलिवबैक सनरबर्ड (नेक्टारिनिया जुगुलारिस), आदि हैं। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करता है और विभिन्न प्रकार के जलीय और स्थलीय पक्षियों के लिए एक आहार का मैदान है। जैव-भौगोलिक दृष्टि से कूथबर्ट खाडी समुद्र के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है और वन समृद्ध और विविध वनस्पतियों और जीवजन्तु के समुद्र तट वन का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थलीय, जलीय और पौधों के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन के अनुकूल है;

और, अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत बेतापुर नाला या छोटी नदी में साल्ट वाटर मगरमच्छ, मछलियों और मोलक्स के लिए महत्वपूर्ण आवास है ;

और, समुद्र तटों पर रेत बार के साथ साथ नदी के किनारे, नदी का ताल संकटापन्न प्रजातियों जैसे साल्ट वाटर मगरमच्छ, कछुआ और वाटर मॉनीटर छिपकली के लिए अच्छा आवास है;

और, कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएँ इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे अधिसूचना के पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य से 1 किलोमीटर तक परिवर्तित होता है। कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, पश्चिम में 771 मीटर से 1 किलोमीटर और उत्तर में 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर और पूर्व दिशा की ओर शून्य मीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी का क्षेत्र **12.89 वर्ग किलोमीटर** है। कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं अंडमान और निकोबार द्विपों के मध्य और उत्तर अंडमान जिला में स्थित है यह उत्तर अक्षांश 12° 36' 51.298"उ से 12° 43' 25.349" उ और पूर्व देशांतर 92° 56' 35.772" पू से 92° 59' 0" पू के बीच स्थित है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कूटबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** में दिया गया है;

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कूटबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक **उपाबंध-III** के सारणी **क** और **ख** में दिए गए है ।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–(1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण और वन;
(ii) कृषि, पशु पालन;
(iii) अंडमान लोक निर्माण विभाग;
(iv) राजस्व;
(v) मत्स्य पालन;
(vi) ग्रामीण विकास; और
(vii) अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण (एएलएचडब्ल्यू)और अन्य अनुसंधान संस्था।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. **संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**—संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.– (क)** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय प्रक्षेत्र या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास भी है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना, संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन विभाग द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार तक, इसमें जो भी निकट हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे।

परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टों की स्थापना को पूर्व-परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हे (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल बिरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल .-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान की जाएगी और संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण .-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुपालन में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण होगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण .-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनिमय जोन 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां हैं जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क.	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर प्रदूषणकारी उद्योगों

		को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नदी जलीय संस्कृति।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक तरीके से यंत्रीकृत नाव से मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
11.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकटतम हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी।

		परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचनाएं ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।

	दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, जलीय कृषि और मछली पालन।	
23.	फर्मों, कॉरपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशु धन संपदा और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित (उपबन्धित के सिवाय)।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहि:स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश का बचाव किया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
25.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	खुले कुआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	पॉलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
31.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	बागवानी और जड़ी-बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि/वन/ आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

42.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधीसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	उपायुक्त, उत्तर और मध्य अंडमान	अध्यक्ष;
2.	सभापति, जिला परिषद, उत्तर और मध्य अंडमान	सदस्य;
3.	प्रभागीय वन अधिकारी, मध्य अंडमान	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, मेबंडर	सदस्य;
5.	संयुक्त निदेशक, कृषि, उत्तर और मध्य अंडमान	सदस्य;
6.	निदेशक, पर्यटन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	निदेशक, मत्स्य पालन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, मेबंडर / निम्बुडेरा	सदस्य;
9.	संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	एक प्रतिष्ठित संस्था से पर्यावरण या पारिस्थितिकी या वन्य जीव पर एक विशेषज्ञ	सदस्य;
11.	संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
12.	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) मेबंडर	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध -V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उक्त वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/08/2017-ईएसजेड]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

दक्षिण – कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **ए** उत्तर अक्षांश 12° 37'23.211" और पूर्व देशांतर 92°57'26.9" से आरंभ होकर और दक्षिण दिशा की ओर जाकर और बेतापुर नाला को पार करती है और इसके अतिरिक्त बिन्दु ए से 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्रिड संदर्भ में बिन्दु डी के उत्तर अक्षांश 12°36'50.396" और पूर्व देशांतर 92°57'25.331" के उच्च टाइड लाइन के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है। सीमा इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **ई** के उत्तर अक्षांश 12°37'3.309" और पूर्व देशांतर 92°56'53.585" पहुँचती है।

पश्चिम – बिन्दु **ई** से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा इसके साथ सीधी रेखा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **एफ** के उत्तर अक्षांश 12°37'14.72" पूर्व देशांतर 92°56'47.245" पहुँचकर जो कि ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **बी** के उत्तर अक्षांश 12°37'35.385" और पूर्व देशांतर 92°57'4.909" कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम के कोने से 828 मीटर की दूरी पर है। सीमा इसके बाद उसी दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर और ग्रिड संदर्भ के बिन्दु **जी** उत्तर अक्षांश 12°37'24.115" और पूर्व देशांतर 92°56'42.068" पहुंचकर जो कि कूथबर्ट खाडी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में बिन्दु **बी** से 771 मीटर में जाती है। सीमा इसके अतिरिक्त उसी दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर और बिन्दु **बी** से 873 मीटर की दूरी में शिवापुरम ग्राम की उत्तर पश्चिम सीमा के बेतापुरा नाला के निकट स्थित ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **एच** के उत्तर अक्षांश 12°37'35.109" और पूर्व देशांतर 92°56'35.99" पहुंचती है। सीमा इसके बाद बेतापुरा नाला पार करके पश्चिम दिशा की ओर जाती है और बिन्दु **बी** से 1 किलोमीटर की दूरी पर और बेतापुरा नाला के अन्य भाग में स्थित ग्रिड संदर्भ

में बिन्दु **आई** के उत्तर अक्षांश 12°37'34.626" और पूर्व देशांतर 92°56'31.886" पहुंचती है। इसके बाद सीमा कूटबर्थ खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और केप स्ट्रैचन के उत्तर पश्चिम में समुद्र के निकट स्थित ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **जे** के उत्तर अक्षांश 12°43'28.273" और पूर्व देशांतर 92°57'53.276"पहुँचती है।

उत्तर –पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा इसके बाद उच्च टाइड लाइन के साथ मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा, ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **सी** के उत्तर अक्षांश 12°42'56.431" और पूर्व देशांतर 92°58'40.931" में मिलती है।

पूर्व – बिन्दु **सी** से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा उच्च टाइड लाइन के साथ दक्षिणी दिशा के साथ मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व कोने में बिन्दु ए में मिलती है।

<u>उपाबंध-IIक</u>

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

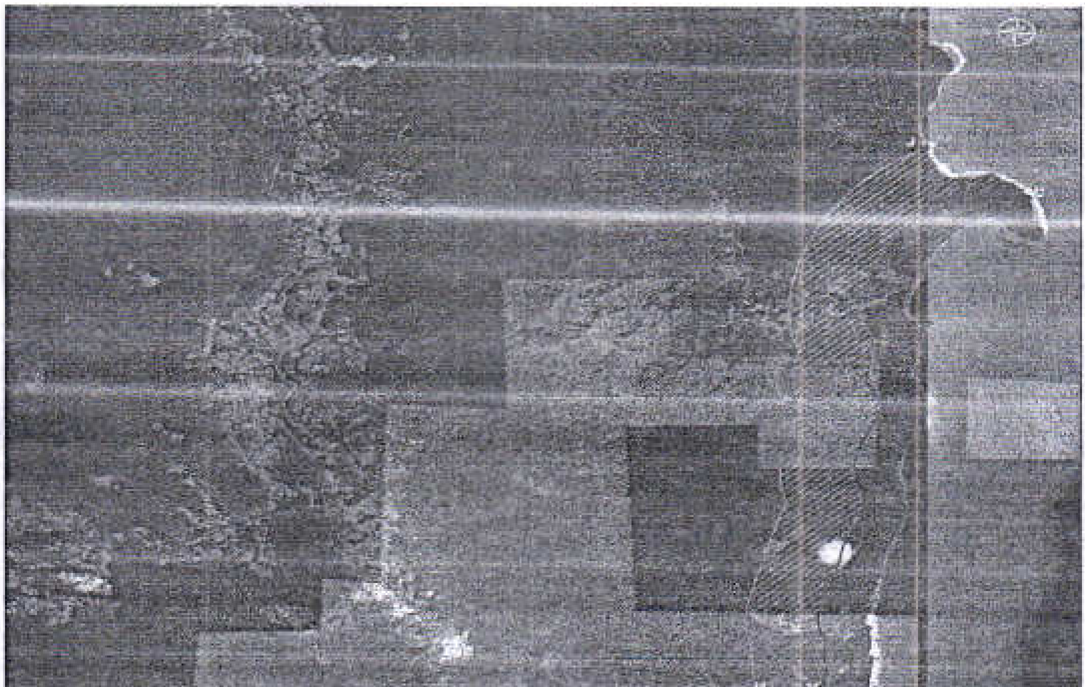

उपाबंध-IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

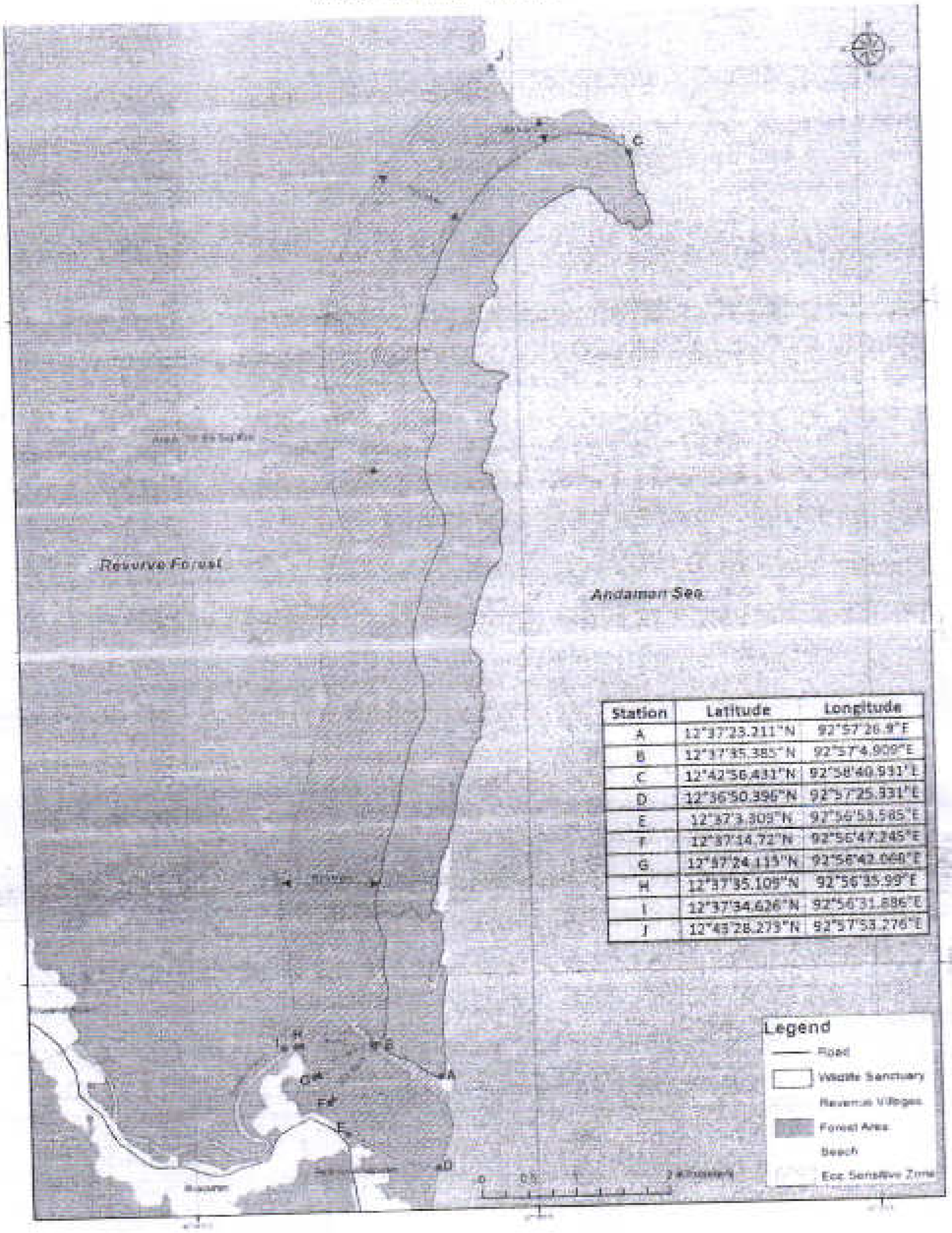

Station	Latitude	Longitude
A	12°37'23.211"N	92°57'26.9"E
B	12°37'35.385"N	92°57'4.909"E
C	12°42'56.431"N	92°58'40.931"E
D	12°36'50.396"N	92°57'25.331"E
E	12°37'3.309"N	92°56'53.585"E
F	12°37'14.72"N	92°56'47.245"E
G	12°37'24.115"N	92°56'42.068"E
H	12°37'35.109"N	92°56'35.99"E
I	12°37'34.626"N	92°56'31.886"E
J	12°43'28.279"N	92°57'53.276"E

उपाबंध -III

सारणी क: कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
1	12^{0}37'23.473" उ	92^{0}57'27.422" पू
2	12^{0}37'35.252" उ	92^{0}57'5.160" पू
3	12^{0}37'55.796" उ	92^{0}57'8.968" पू
4	12^{0}38'12.685" उ	92^{0} 57'8.651" पू
5	12^{0}39'0.805" उ	92^{0} 57'14.094" पू
6	12^{0}39'47.172" उ	92^{0} 57'24.376" पू
7	12^{0}40'37.663" उ	92^{0}57'32.539" पू
8	12^{0}41'26.612" उ	92^{0}57'31.004" पू
9	12^{0}42'14.043" उ	92^{0}57'31.971" पू
10	12^{0}42'50.532" उ	92^{0}57'54.971" पू
11	12^{0}42'56.584" उ	92^{0}58'40.864" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
क	12^{0}37'23.211" उ	92^{0}57'26.9" पू
ख	12^{0}37'35.385" उ	92^{0}57'4.909" पू
ग	12^{0}42'56.431" उ	92^{0}58'40.931" पू
घ	12^{0}36'50.396" उ	92^{0} 57'25.331" पू
ङ	12^{0}37'3.309" उ	92^{0} 56'53.585" पू
च	12^{0}37'14.72" उ	92^{0} 56'47.245" पू
छ	12^{0}37'24.115" उ	92^{0}56'42.068" पू
ज	12^{0}37'35.109" उ	92^{0}56'35.99" पू

झ	12º37'34.626" उ	92º56'31.886" पू
ञ	12º43'28.273" उ	92º57'53.276" पू

उपाबंध- IV

भू-निर्देशांकों के साथ कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य या इसके प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत कोई ग्राम विद्यमान नहीं है।

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दाखिल की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2019

S.O.1042(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2939(E), dated the 6th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 6th September, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;